राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : एफ.वी.5(अर्थना) / स्था. / अ / 2023 / 00334 / 2325 जयपुर, दिनांक : 31/07/2026

पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, 2025

आदेश

पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती, 2025 के 1100 पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर परीक्षा का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के स्तर से किया गया है। उक्त भर्ती का परिणाम दिनांक 16.06.2026 को जारी किया जा चुका है। आयोग द्वारा उक्त भर्ती हेतु 2050(सूची 01) एवं 391(कोर्ट केस) सूची 02 तथा 08(कोर्ट केस) सूची 03 के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु विचारित सूची(**Provisional List of Candidates for Eligibility Checking**) सूची उपलब्ध करवाई गई हैं।

सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य दिनांक 13.08.2026 से दिनांक 25.08.2026 तक प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् तथा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड पशुधन भवन परिसर, गांधी नगर मोड, टोंक रोड, जयपुर में किया जावेगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के कार्य हेतु उनकी विचारित सूची(**सूची / List** 01 एवं 02 तथा 03) के क्रम संख्या के आगे अंकित रोल नम्बर एवं नाम के अनुसार अंकित निर्धारित दिनांक एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन दल के सम्मुख आवश्यक रूप से मय मूल दस्तावेज एवं स्वसत्यापित प्रति सहित उपस्थित होगें। दिनांक 13.08.2026 से दिनांक 25.08.2026 तक निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 10.09.2026 को प्रातः 10:00 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर ही उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु चैक लिस्ट, अभ्यर्थियों हेतु दिशा–निर्देश, विभिन्न शपथ–पत्र एवं दस्तावेजों के प्रारूप तथा विचारित अभ्यर्थियों की सूची 01 व 02 संलग्न हैं।

संलग्न :– 1. चैक लिस्ट पृष्ठ संख्या 02 पर।
2. अभ्यर्थियों हेतु दिशा–निर्देश पृष्ठ संख्या 03–04 पर।
3. विभिन्न शपथ–पत्र एवं दस्तावेजों का प्रारूप पृष्ठ संख्या 05–13 पर।
4. सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची 01 (पृष्ठ 14–54 तक) व सूची 02(पृष्ठ 55–63 तक) तथा सूची 03(पृष्ठ 64)

(डॉ. सुरेश चन्द मीना)
निदेशक

क्रमांक : एफ.वी.5(अर्थना) / स्था. / अ / 2023 / 00334 / 2326-30 जयपुर, दिनांक : 31/07/2026

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
2– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3– उपनिदेशक(एसीपी) / उपनिदेशक(आई.टी.), निदेशालय पशुपालन विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराऐं।
4– रक्षित पंजिका।

निदेशक

RajKaj Ref No.:
23615368

Digitally signed by
SURESH CHAND MEENA
Designation: Director
Date: 2026-07-31 12:20:40
IST

v-1.0

पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती–2025 चैक लिस्ट

(अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे)

नामः **ईमेलः**

जन्मतिथिः **रोल नम्बरः** **मोबाइलः**

लिंगः M/F **आयु वर्षो में (As on 01.01.2026)..............वर्ष..........माह.............दिन.................**

क्र.सं	दस्तावेजों का विवरण	दस्तावेज उपलब्धता हां/ना	जारी करने की तिथि	दस्तावेज पृष्ठ संख्या
1.	विस्तृत आवेदन सह परीनिरीक्षा प्रपत्र दो प्रतियों में (Scrutiny Form)			
2.	सैकण्डरी (अंकतालिका एवं (प्रमाण पत्र[जन्म दिनांक हेतु])			
3.	सीनियर सैकण्डरी अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र			
4.	स्नातक के तीनों वर्षो/सभी सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के दोनों वर्षो/सभी सेमेस्टर की अंकतालिकाऐं			
5.	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् जयपुर से जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति एवं अस्थाई/स्थाई पंजीयन आवेदन की अंतिम दिनांक 03.09.2025 तक (हॉ/नहीं)			
6.	अनिवार्य इन्टर्नशिप लिखित परीक्षा की तिथि 19.04.2026 तक पूर्ण हैं।(हॉ/नहीं)			
7.	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् जयपुर से जारी अस्थाई/स्थाई पंजीयन की दस्तावेज सत्यापन की दिनांक को स्थिति (हॉ/नहीं)			
8.	मूल निवास प्रमाण पत्र			
9.	श्रेणी(ST/SC/OBC/MBC/EWS/SAH/TSP) प्रमाण पत्र			
10.	अन्य श्रेणी(यथा विधवा/परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन(विकलांग)इत्यादि) का प्रमाण पत्र			
11.	अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र			
12.	अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों से जारी 02 मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न अनुसार			
13.	भूतपूर्व सैनिक शपथ–पत्र			
14.	संविधान शपथ पत्र (सादे कागज पर)			
15.	दहेज संबंधित घोषणा पत्र(विधवा/ परित्यक्ता) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत)			
16.	संतान संबंधी घोषणा पत्र(राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित)			
17.	धूम्रंपान संबंधी घोषणा पत्र			
18.	स्वयं का फोटो पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पोसपोर्ट आदि)की स्वप्रमाणित प्रति			
19.	एस.एस.ओ. आई.डी./एम्प्लॉई आई.डी.			
20.	नाम में अन्तर पर संशोधन हेतु शपथ–पत्र			
21.	न्यायालय द्वारा दण्ड प्रदान नहीं किये जाने संबंधी शपथ–पत्र तथा अन्य प्रपत्र			

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

- सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर पृष्ठ संख्या अंकित करे।
- सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करे।

RajKaj Ref No.: 23615368

Digitally signed by SURESH CHAND MEENA
Designation: Director
Date: 2026-07-31 12:20:40 IST

v-1.0

पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, भर्ती, 2025 हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

पात्रता जांच हेतु काउन्सलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु जारी आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. **<u>विभाग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र आर्फलाईन माध्यम से प्राप्त करते हुए पात्रता जाँच की जावेगी।</u>** अतः अभ्यर्थी को निम्नांकित दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र मय संलग्नक एवं मूल दस्तावेज के व्यक्तिशः कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

2. ऑनलाईन भरा गया विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फॉर्म **दो प्रतियों** में तथा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज **एक प्रति** में प्रस्तुत करने हैं। विस्तृत आवेदन पत्र एवं अटेस्टेशन फार्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानी पूर्वक कर मय राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम की सील के प्रस्तुत किए जाने हैं। यदि कोई कॉलम लागू नहीं हो तो ''लागू नहीं'' अंकित करें।

3. **संलग्नकः–**<u>अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंकतालिकाएं संलग्न करें।</u> **<u>स्नातक के सभी वर्षों/सभी सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के सभी वर्षों/सभी सेमेस्टर की अंकतालिकाएं तथा राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् से जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न करें</u>** । इसके अतिरिक्त जाति प्रमाणपत्र, EWS प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जहाँ लागू हो वहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, विवाह–विच्छिन्न प्रमाण–पत्र (डिक्री) एवं विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र के मूल दस्तावेज एवं उनकी स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र और एनओसी भी संलग्न करें ।

4. अभ्यर्थी द्वारा सैकण्डरी/सी0सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर की सभी अकंतालिकाएँ और प्रमाणपत्र/ डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने हैं।

5. **फोटो एवं हस्ताक्षरः**–विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फार्म में जहाँ भी फोटो लगाई जानी हैं वहाँ फोटो लगावें और जहाँ हस्ताक्षर किये जाने हैं वहाँ पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें ।

6. **जाति प्रमाण पत्र** :–एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर **पिता के नाम के आधार पर** जारी प्रमाण पत्र मान्य होगें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 व 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण–पत्र वाले शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

7. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें।

8. **विधवा श्रेणी (WD) :–** उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र अथवा पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आई.डी अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें, जिसमें पति–पत्नि होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।

9. **विवाह–विच्छिन्न श्रेणी** (DV) :–उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है।

RajKaj Ref No.: 23615368

Digitally signed by SURESH CHAND MEENA
Designation: Director
Date: 2026-07-31 12:20:40 IST

10. **भूतपूर्व सैनिक(EX) :– इस श्रेणी के अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स–सर्विस मेन की डायरी, पेंशन / पी.पी.ओ. कार्ड की फोटो प्रति, सेना द्वारा सिविल सेवा हेतु जारी एन.ओ.सी., सेना में सेवा के दौरान प्राप्त की गई उच्च शिक्षा की स्वीकृति, दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधी दस्तावेज व शपथ–पत्र संलग्न करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेच्युटी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के क्रम में दोहरा लाभ के संबंध में उल्लेखित प्रावधान का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।**

11. **विशेष योग्यजन प्रमाण–पत्र :–**नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी संबंधित निःशक्तता का प्रमाण–पत्र, जिसमें निःशक्तता का स्पष्ट उल्लेख हो एवं निःशक्तता 40 प्रतिशत से कम उल्लेखित ना हो।

12. अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल–निवास व विकलांगता प्रमाण–पत्र का अवलोकन कर लें तथा नाम में वर्तनी / स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

13. ऑनलाईन आवेदन में अंकित नाम व 10 वीं की अंकतालिका में अंकित नाम में अतंर होने पर अभ्यर्थी गजट पत्र अथवा **10वीं में अंकित नाम के आधार पर संशोधन किये जाने हेतु शपथ–पत्र एवं संशोधन शुल्क राशि 500 रू. (SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन पेमेंट करते हुए पेमेंट रिसिप्ट) की रिसिप्ट आवश्यक** रूप से लेकर आवें।

    ऑनलाईन पेमेंट की प्रक्रिया :– SSO Portal से Login कर G2C में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर Recruitment Portal Dashboard पर उपलब्ध Payment for Offline Services का चयन कर आवेदन संशोधन शुल्क विकल्प में 500 रु की राशि का भुगतान करें।

14. अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु विभाग की वेबसाईट पर जारी किये गये काउन्सलिंग पत्र, स्वयं का फोटो आई.डी. प्रूफ व 2 पासपोर्ट साईज के फोटो अवश्य लेकर आवें।

15. काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जावेगा। इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

16. काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा कोई यात्रा / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

RajKaj Ref No.:
23615368

Digitally signed by
SURESH CHAND MEENA
Designation: Director
Date: 2026-07-31 12:20:40
IST